"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 जनवरी 2013—पौष 28, शक 1934

विषय—सूची

भाग १

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2012

क्रमांक ई-1-2/2012/एक/2.— श्री एच. पी. किण्डो, भा.प्र.से., (छ.ग. 1997) विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छ.ग., रायपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक, कोष एवं लेखा तथा महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक तथा सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 जनवरी 2013

शुद्धि-पत्र

क्रमांक 116/डी. 238/21-अ/प्रारूपण/12.— छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 15 जून, 2010 के पृष्ठ क्रमांक 330 (1) में प्रकाशित किये गये, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 14 सन् 2010) के हिन्दी एवं अंग्रेजी पाठ में, अधिनियम की धारा 14 में, शब्द "धारा 14 की उप-धारा (2-क) के परन्तुक" को "धारा 14 की उप-धारा (2) के द्वितीय परन्तुक" पढ़ा जाए.

CORRIGENDUM

No. 116/डी.238/21-अ/प्रारूपण/12.—In the Hindi and English version of the Chhattisgarh Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Act, 2010 (No. 14 of 2010), as published in the Chhattisgarh Gazette (Extra Ordinary) dated 15th June, 2010 at page 330 (1), in Section 14 of the Act, the words "proviso of sub-section (2-a) of Setion 14" be read as "second proviso of sub-section (2) of Section 14"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2012

क्रमांक/एफ 1-15/दो गृह/भापुसे/2009.—श्रीमती नीतु कमल, भा.पु.से., सेनानी, 4थी वाहिनी, छसबल, माना, रायपुर को दिनांक 21-12-2012 से दिनांक 24-12-2012 (04 दिवस) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 25 दिसम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती नीतु कमल, आगामी आदेश तक सेनानी, 4थी वाहिनी, छसबल, माना, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती नीतु कमल को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती नीतु कमल अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2012

क्रमांक/1359/1367/दो गृह/भापुसे/2012.—श्री आर. के. विज, भा.पु.से., पुलिस महानिरीक्षक, छसबल, एसटीएफ, सीटीजेडब्ल्यू, नक्सल अभियान, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को दिनांक 17-12-2012 से दिनांक 31-12-2012 (15 दिवस) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 16 दिसम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. विज, आगामी आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक, छ.सबल, एसटीएफ, सीटीजेडब्ल्यू, नक्सल अभियान, पुलिस मुख्यालय, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री आर. के. विज को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. विज अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2012

क्रमांक/1394/3564/दो गृह/भापुसे/2012.—श्री दावुलूरी श्रवण, भा.पु.से., पुलिस अधीक्षक, कोंडागांव को दिनांक 24-12-2012 से दिनांक 11-01-2013 (19 दिवस) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 23 दिसम्बर 2012 एवं 12, 13-01-2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री दावुलूरी श्रवण आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, कोंडागांव के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री श्रवण को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दावुलूरी श्रवण, भा.पु.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील विजयवर्गीय, अवर सचिव.

संस्कृति विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2012

क्रमांक 1428/953/30/सं./2012.— चूंकि राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये जाने प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनिष्ट किये जाने, क्षति ग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विकृत किये जाने, निरूपित किये जाने, हटाये जाने तितर-बितर किये जाने या उनका अवक्षण होने देने से संरक्षित करना आवश्यक है.

ग्राम तरीघाट, तहसील पाटन, जिला-दुर्ग स्थित पुरातत्वीय स्थल प्राचीन टीला तरीघाट जो शासकीय भूमि खसरा नम्बर 524 रकबा 5.45 हेक्टेयर पर स्थित है. जिसका सर्वेक्षण अन्वेषण कार्य 2009-10 एवं 2011-12 में किया गया है. यह टीला 2री-3री शताब्दी ईशा पूर्व का है. यह स्मारक/स्थल पुरातत्वीय महत्व का है. अतएव छत्तीसगढ़ एन्सीयेन्ट्स् मान्यूयेन्ट्स एण्ड आर्क्योलाजीकल साइट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त पुरातात्विक स्थल को राज्य संरक्षित स्थल के रूप में घोषित करने के अपने आशय की पूर्व सूचना देता है.

किसी भी ऐसी आपत्ति पर जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में निहित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के (छत्तीसगढ़ राजपत्र में) प्रकाशित होने के दिनांक से व एक मास की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. भट्टर, उप-सचिव.

वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2013

क्रमांक एफ–1–25/2011/स्था./चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2011 में और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

(1) अनुसूची–एक के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जावे, अर्थात् :—

अनुसूची–एक
(नियम 5 देखिये)

स. क्र. (1)	सेवा का नाम/पदनाम (2)	पदों की संख्या (3)	वर्गीकरण (4)	वेतनमान (5)
	छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा	516	तृतीय श्रेणी	9300–34800 ग्रेड वेतन 4300
1.	सहायक कोषालय अधिकारी			
2.	उप कोषालय अधिकारी			
3.	सहायक लेखाधिकारी			
4.	कनिष्ठ लेखाधिकारी			
5.	व्याख्याता लेखा प्रशिक्षण शाला			
6.	सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी			

No. F-1-25/2011/Est./four.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following further amendments in the Chhattisgarh Subordinate Account Services (Recruitment and Conditions of Service) Rule 2011, namely :—

AMENDMENT

In the said rules :—

1. For the existing schedule-I the following shall be substituted, namely :—

SCHEDULE-I
(See rule 5)

S. No. (1)	Name of Service/Post Name. (2)	Number of Post (3)	Classification (4)	Pay Scale (5)
	Chhattisgarh Subordinate Account Service.	516	Class-III	9300-34800 Grade Pay 4300
1.	Assistant Treasury Officer			
2.	Sub Treasury Officer			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Assistant Account Officer	516	Class-III	9300-34800 Grade Pay 4300
4.	Junior Account Officer			
5.	Lacturer Account Training School			
6.	Assistant Internal Audit Officer			

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. जे. खत्री, संयुक्त सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2012

क्रमांक एफ 8–1/2012/11/(6).—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मेसर्स एन.एस.पी.सी.एल. (एन.टी.पी.सी. सेल पॉवर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड), पुरैना, भिलाई, जिला दुर्ग के बॉयलर क्रमांक C.G./343 को दिनांक 20–12–2012 से 31–03–2013 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2012

क्रमांक एफ 1-79/2012/16.— कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का संख्यांक 63) की धारा 8 की उपधारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गयी समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को उपांतरित करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट किये गये अधिकारियों को मुख्य कारखाना निरीक्षक की सहायता करने हेतु, उन्हें अपनी-अपनी प्रशासनिक अधिकारिता में उक्त सारणी के कालम (5) में विनिर्दिष्ट मुख्य कारखाना निरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उप मुख्य कारखाना निरीक्षक के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

अनु. क्र. (1)	अधिकारी का पदाभिधान (2)	नियुक्ति का प्रकार (3)	कार्य सीमा (4)	मुख्य कारखाना निरीक्षक की शक्तियां (5)
1.	उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा.	उप मुख्य कारखाना निरीक्षक.	सम्पूर्ण राज्य के लिए.	छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली 1962 के नियम 7, 9, 10 तथा 12 के अधीन समस्त कारखानों की अनुज्ञप्ति, का क्रमश: नवीनीकरण, संशोधन या हस्तान्तरण करना, जिसमें वे स्थान भी सम्मिलित है जिन्हें कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 85 के अंतर्गत कारखाना घोषित किया गया है. इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली 1962 के नियम 3ए एवं नियम 6 के अंतर्गत ऐसे गैर खतरनाक कारखाने जिनमें 20 से अधिक नियोजन न हो के संबंध में अनुमोदन, अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण करने की शक्तियां.

No. F 1-79/2012/16.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2-a) of Section 18 of the factories Act, 1948 (No. LXIII of 1948) and om supersession of all previous notification issued in the respect, the State Govt. hereby appoint the officers as specified in column (2) of the table below as Dy. Chief Inspector of Factories to assist the Chief Inspector of Factories and to exercise the powers of Chief Inspector of Factories as specified in column (5) of the said table in their respective administrative jurisdiction, namely :—

TABLE

S. No. (1)	Designation of officers (2)	Nature of Appointment (3)	Area of Jurisdiction (4)	Power of Chief Inspector of Factories (5)
1.	Dy. Director Industrial Health & Safety.	Dy. Chief Inspector of Factories.	Whole of Chhattisgarh State.	Rule 7, 9, 10 & 12 of Chhattisgarh Factories rule 1962 for renewal amendment and transfer of license of all factories includes those establishment which are declared factories under section 85 of Factories Act 1948.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				In addition to above mentioned powers, powers for approval, licensing and registration of all non hazardous factories employing upto 20 workers, as per provisions of rule 3 A and rule 6 of Chhattisgarh factories rules 1962.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, उप-सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2013

क्रमांक एफ-21/02/तेरह-2/2013/60.— विद्युत अधिनियम, 2003 (केन्द्रीय अधिनियम 2003 का 36) की धारा 180 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, अधिसूचना क्रमांक एफ 11-2/2006/13/1 दिनांक 22 मार्च 2006 के द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियम, 2006 के भाग-सात अपराधों पर समझौता संबंधी प्रावधानों को पूर्णत: विलोपित करते हुए, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 152 में वर्णित अनुसार विद्युत की चोरी से संबंधित प्रकरणों में अपराधों के प्रशमन (राजीनामा) हेतु निम्नानुसार संशोधित प्रावधान लागू करती है, अर्थात् :—

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 152 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ क्रमांक (2) में उल्लिखित जिले के समक्ष सारणी के स्तंभ क्रमांक (3) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत विद्युत की चोरी से संबंधित पंजीकृत प्रकरणों में अपराधों के प्रशमन (राजीनामा) के लिये अधिकृत करती है :—

सारणी

सरल क्रमांक (1)	जिले का नाम (2)	अधिनियम की धारा 152 के अंतर्गत राजीनामा हेतु अधिकृत अधिकारी का पदनाम (3)
1.	रायपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़	कार्यपालन अभियंता (वि. सु.) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़ शासन.
2.	धमतरी, दुर्ग, कोरबा, सरगुजा	सहायक अभियंता (वि. सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़ शासन.
3.	दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कांकेर, नारायणपुर, गरियाबंद, महासमुंद, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा, जशपुर, सूरजपुर, मुंगेली, बेमेतरा, कोरिया, बलौदा-बाजार, बालोद, कोण्डागांव, बलरामपुर.	उक्त जिलों में पदस्थ कार्यपालन यंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित.

राजीनामा के लिए आवेदन इस अधिसूचना के साथ संलग्न प्ररूप-अ में प्रस्तुत करना होगा तथा नियमानुसार धनराशि के [illegible]

पुष्टि होने पर ऊपर वर्णित सारणी में अधिकृत अधिकारी द्वारा राजीनामा हेतु अधिसूचना के साथ संलग्न प्ररूप-ब में राजीनामा आदेश जारी किया जा सकेगा.

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, उप-सचिव.

प्ररूप-अ

राजीनामा के लिए आवेदन पत्र

1. नाम ....

2. पता ....

3. (अ) सर्विस कनेक्शन क्रमांक तथा कनेक्शन का प्रयोजन, जैसे-घरेलू, गैर घरेलू, निम्नदाब औद्योगिक, उच्चदाब औद्योगिक, वाणिज्यिक, कृषि उपयोग इत्यादि.

   (ब) अनुबंधित विद्युत भार (किलोवाट/अश्व शक्ति में जो भी लागू हो)

4. अर्थदण्ड निर्धारण आदेश का संदर्भ
   क्रमांक .... दिनांक .... राशि ....

5. प्रारंभिक सूचना प्रतिवेदन का विवरण
   क्रमांक .... दिनांक .... अधिरोपित धारा .... थाना..................

6. यदि प्रकरण दर्ज हो गया है तो, पंजीयन क्र. एवं न्यायालय का नाम ....

7. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :—

8. अपराध के राजीनामा के लिए जमा की गई राशि (चालान की मूल प्रति संलग्न करें)
   कोषालय कोड ....
   मद का विवरण..................
   जमा की गई राशि ....
   चालान क्रमांक एवं तिथि..................

9. विद्युत चोरी के पंजीकृत.................. अपराध में प्रार्थी का यह प्रथम प्रकरण है जिसमें वह प्रशमन के अधीन राजीनामा हेतु इच्छुक एवं तत्पर है.

10. कार्यालय में आवेदन पंजी क्र. .... एवं दिनांक.................. व रजिस्टर का सरल क्रमांक..................

(कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

आवेदक का पूरा नाम एवं
हस्ताक्षर दिनांक सहित

प्ररूप-ब

राजीनामा उपरांत जारी किये जाने वाले आदेश का प्ररूप

1. आवेदक का नाम ....

2. पूर्ण पता ....

3. (अ) सर्विस कनेक्शन क्रमांक .... तथा अनुबंध के अधीन विद्युत उपयोग का प्रयोजन (जैसे-घरेलू, गैर घरेलू, निम्नदाब औद्योगिक, उच्चदाब औद्योगिक, वाणिज्यिक, कृषि उपयोग इत्यादि)

   (ब) अनुबंधित विद्युत भार (किलोवाट/अश्वशक्ति में)

4. अर्थदण्ड निर्धारण आदेश का संदर्भ
   क्रमांक .... दिनांक .... राशि ....

5. प्रारंभिक सूचना प्रतिवेदन (एफआईआर) का विवरण-थाना ....
   क्रमांक .... दिनांक .... आरोपित धारा ....

6. यदि प्रकरण दर्ज हो गया है, तो प्रकरण का पंजीयन क्रमांक .... न्यायालय का नाम ....

7. अपराध के राजीनामा के लिए जमा की गई राशि रुपये .... (रुपये शब्दों में ....)
   तथा कोषालय द्वारा भुगतान प्राप्ति की पुष्टि में जारी चालान क्र. .... दिनांक .... एवं मद ....

8. विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-135 के तहत आवेदक श्री .... के विरुद्ध विद्युत चोरी का प्रकरण क्र. ..../.................................. अनुसार माननीय न्यायालय.. में दर्ज किया गया है. उक्त प्रकरण में आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-152 के अंतर्गत अपराध के राजीनामा हेतु निवेदन किया है. आवेदक द्वारा उक्त विद्युत कनेक्शन के अंतर्गत दर्ज विद्युत चोरी के प्रकरण के संबंध में राजीनामा का यह प्रथम प्रकरण है. आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 152 की उप-धारा (1) में उल्लिखित सारणी के स्तंभ क्रमांक (2) में विनिर्दिष्ट राशि रुपये .... दिनांक .... को जमा कर दी गई है.

9. उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि उपरांत मैं (नाम व पदनाम सहित) .... आवेदक (नाम व पता) .... को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-152 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए राजीनामा के लिए अनुमति प्रदान करता हूं.

10. राजीनामा के प्रकाश में, प्रकरण क्रमांक .... में निम्न व्यक्ति/व्यक्तियों को यथा 1. .... 2. .... 3. .... जो पुलिस की हिरासत में है, स्वतंत्र/मुक्त कर दिया जाए और इस संबंध में कोई भी दण्डात्मक कार्यवाही न की जाए और यदि उपभोक्ता/उपभोक्ता के प्रतिनिधि हिरासत में है तो उन्हें रिहा कर दिया जाए.

राजीनामा हेतु अधिकृत प्राधिकारी का नाम,
पदनाम मुहर एवं दिनांक सहित

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2012

क्रमांक एफ 14-25/2012/19/तक-4.— पथकर अधिनियम, 1851 (1851 का सं. 8) जैसा कि यह छत्तीसगढ़ राज्य में लागू है, की धारा-2 सहपठित धारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-23-11/96/जी/19, भोपाल, दिनांक 02-09-1996 को अतिष्ठित करते हुए, एतद्द्वारा, पामगढ़-शिवरीनारायण-सारंगढ़ मार्ग के 65 कि.मी. पर स्थित महानदी पुल पर पथकर की वसूली दिनांक 01-04-2013 से समाप्त करती है.

No. F-14-25/2012/19/T-4.—In exercise of the powers conferred by Section-2 read with Section-4 of the Tolls Act, 1851 (No. VIII of 1851), in its application to the State of Chhattisgarh, the State Government, in Supersession of Department's Notification No. F-23-11/1996/G/19, Bhopal, Dated 02-09-1996, hereby, stops the levy of Toll on Pamgarh-Shivreenarayana-Sarangarh Road situated at 65 Km. on the bridge of Mahanadi River with effect from 01-04-2013.

नया रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2012

क्रमांक 396/3238/2012/19/तक-4.— पथकर अधिनियम, 1851 (1851 का सं. 8) जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य में लागू है, की धारा-2 सहपठित धारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-23/1/92/जी/19, दिनांक 27-03-1992 एवं क्रमांक एफ 23-6/98/जी/19, दिनांक 22-09-1998 को अतिष्ठित करते हुए, एतद्द्वारा, निम्नलिखित पुलों पर पथकर की वसूली दिनांक 01-04-2013 से समाप्त करती है :—

1. कुदमुरा-हाटी-धरमजयगढ़ मार्ग के कि.मी. 3/2 पर स्थित माण्ड नदी पुल

2. कोरबा चिरमिरी मार्ग के कि.मी. 20/6 पर स्थित हसदेव नदी पुल

No. 396/3238/2012/19/T-4.—In exercise of the powers conferred by Section-2 read with Section-4 of the Tolls Act, 1851 (No. VIII of 1851), in its application to the State of Chhattisgarh, the State Government, in Supersession of Department's Notification No. F-23/1/92/G/19, Dated 27-03-1992, and No. F-23-6/98/G/19, Dated 22-09-1998, hereby. Stops the levy of Toll with effect from 01-04-2013 on following Bridge. namely :—

1. Mand Nadi Bridge situated at 3/2 Km. of Kudhmura-Hati-Dharmjaigarh Road.

2. Hasdeo Nadi Bridge situated at 20/6 Km. of Korba Chirmiri Road.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. सहगल, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2012

क्रमांक-एफ 7-45/2012/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए बिलाईगढ़ निवेश क्षेत्र, जिला बलौदाबाजार भाटापारा का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित् की गई है :—

अनुसूची

बिलाईगढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम लुकापारा, गोविंदबन एवं छपोरा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम छपोरा एवं बॉसउरकुली ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम बॉसउरकुली, टाड़ापारा एवं रमतला ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम रमतला, खजुरी एवं लुकापारा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

नया रायपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2012

क्रमांक-एफ 7-46/2012/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए कसडोल निवेश क्षेत्र, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित् की गई है :—

अनुसूची

कसडोल निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम चॉटीपाली, गोरधा एवं कोट ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम कोट, छरछेद एवं बिलारी ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम बिलारी, बैंगनडबरी, हटौद, धौराभाठा, सेमरिया एवं खरवे ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम खरवे, चकरवाय, दर्रा एवं चॉटीपाली ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एलेक्स पॉल मेनन, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2012

क्रमांक 19/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	रतनपुर प. ह. नं. 37	8.578	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि., संभाग क्रमांक-1, बिलासपुर.	महामाया मंदिर रतनपुर बायपास मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सूरजपुर, दिनांक 05 अक्टूबर 2012

रा. प्र. क्रमांक 04 अ-82/2007-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (आरे में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	[illegible]	प्रतापपुर	0.40	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि., संभाग क्रमांक-2.	महाविद्यालय भवन तक पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), प्रतापपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारती दासन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 5 अक्टूबर 2012

रा.प्र.क्र./01/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-बतौली
- (ग) नगर/ग्राम-लैगू
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.668 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
283/1	0.028
207	0.020
244	0.053
92/1	0.081
91	0.137
153	0.186
223	0.008
281	0.125
99	0.129
269	0.065
273	0.041
95/1	0.259
129	0.077
208	0.008
219	0.061
245	0.053
98	0.077
100	0.089
296	0.109
274	0.041
[illegible]	0.113
180	0.141
299/1	0.028
299/2	0.028
182/1	0.137
146/14	0.049
216	0.041
220	0.008
247	0.020
127	0.133
149	0.121
131	0.364
92/2	0.073
97	0.174
263	0.008
71/1	0.194
290	0.085
302/3	0.061
146/22	0.174
304	0.020
283/2	0.024
135/2	0.137
101	0.145
225	0.109
152	0.202
135/3	0.283
130	0.028
264	0.069
138/2	0.081
308	0.061
289	0.016
222	0.028
306/2	0.129
285/1	0.149
209/1	0.016
285/2	0.149
126	0.057
201	0.061
138/1	0.041
313	0.069
306/1	0.162
143	0.133
310	0.036
78	0.299
291	0.053
297	0.028
182/2	0.081

(1)	(2)
221	0.041
312	0.117
150	0.117
202	0.028
242	0.008
77	0.125
268	0.016
272	0.032
309	0.020
146/23	0.028
योग	6.668

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लैगू व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर एवं उप नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 5 अक्टूबर 2012

रा.प्र.क्र./02/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-बतौली
- (ग) नगर/ग्राम-बटईकेला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.353 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1606/2	0.020
1611/1	0.073
1614/2	0.016
1666	0.020
1711	0.093
1607	0.024
1612	0.040
1653	0.089
1667	0.032
1943	0.283
1605	0.008
1613/1	0.161
1652/1	0.016
1682	0.146
1609	0.049
1643/1	0.073
1655/2	0.314
1683/1	0.121
1610/2	0.040
1642/1	0.097
1664	0.089
1683/2	0.024
1685	0.242
1613/2	0.178
1665	0.065
1710	0.040
योग	2.353

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-माण्ड व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 5 अक्टूबर 2012

रा.प्र.क्र./03/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-मैनपाट
- (ग) नगर/ग्राम-पैगा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.739 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
219/18	0.145
219/12	0.315
219/7	0.157
219/5	0.049
216/1.	0.045
218	0.243
219/14	0.206
210	0.036
219/2	0.045
219/16	0.287
213/2	0.069
216	0.045
214	0.020
219/4	0.032
215	0.045
योग	1.739

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मछली व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 5 अक्टूबर 2012

रा.प्र.क्र./04/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-मैनपाट
- (ग) नगर/ग्राम-असगवां
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.160 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
6012	0.081
84/1	0.016
190/7	0.093
48/25	0.049
40	0.121
78	0.028
48/4	0.093
48/29क	0.041
168	0.129
48/22	0.100
194/12	0.206
30/3	0.417
76/11	0.032
48/15	0.178
173/3	0.226
59	0.105
61/2	0.073
46/4	0.081
66	0.029
35	0.182
48/39क	0.061
194/22	0.553
48/24	0.203
5/2	0.093
58	0.036
193/1	0.021
48/32क	0.225
190/2	0.093
194/13	0.093
79	0.089
46/6	0.069
97	0.057
157/11	0.182
48/32ख	0.137
194/26	0.093
194/30	0.611

(1)	(2)
5/3	0.134
157/36	0.162
76/2	0.061
48/40	0.050
31	0.073
48/47	0.101
194/2	0.369
46/7	0.157
48/12	0.061
163	0.049
73	0.093
194/24	0.186
194/2ख	0.162
1/7	0.093
194/20	0.230
48/43	0.364
72	0.061
98	0.101
48/48	0.057
60/3	0.081
48/36	0.093
41/1	0.182
48/26	0.182
6/2	0.093
46/1	0.457
157/3	0.093
1/10	0.093
48/52	0.579
32	0.093
194/8	0.230
65	0.020
194/4	0.182
194/7	0.093
46/5	0.226
157/7	0.061
194/10	0.093
48/2	0.138
157/6	0.226
157/37	0.457
75	0.028
योग	11.160

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मछली व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर एवं उपनहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 5 अक्टूबर 2012

रा.प्र.क्र./01/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सीतापुर
- (ग) नगर/ग्राम-धरमपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.387 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
730	0.021
737/1	0.012
671	0.026
649/1	0.056
646	0.101
614	0.113
443	0.078
432	0.142
399/7	0.060
731	0.065
584	0.004
672	0.062
647/1	0.075
608/3	0.093
633	0.186
440	0.012
433	0.078
434/1	0.083
592/1	0.061
585	0.084
654	0.210
647/2	0.075
610/1	0.188
616	0.020
612/1	0.008
400	0.226
438	0.105

(1)	(2)
727/1	0.196
593/2	0.093
657	0.226
644/1	0.024
613/1	0.061
632/1	0.101
612/2	0.004
499/4	0.180
736/1	0.092
732/1	0.057
595	0.045
658	0.136
645	0.128
613/2	0.041
628/3	0.190
435	0.057
499/5	0.060
715/1	0.020
679	0.060
643	0.101
629/2	0.036
613/3	0.008
442	0.185
437	0.012
399/6	0.030
योग	4.387

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम बेलजोरा जलाशय योजना के अंतर्गत मुख्य नहर एवं उपनहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-सीतापुर
(ग) नगर/ग्राम-धरमपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.569 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
658	0.026
138/3	0.090
706	0.030
660/2	0.060
690/2	0.041
707/3	0.026
145	0.030
727/1	0.020
685/2	0.030
144	0.030
726/2	0.041
141	0.035
717/2	0.060
140/2	0.026
718/2	0.024
योग	0.569

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम बेलजोरा जलाशय योजना के अंतर्गत उपनहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 5 अक्टूबर 2012

रा.प्र.क्र./02/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

सरगुजा, दिनांक 5 अक्टूबर 2012

रा.प्र.क्र./03/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-सीतापुर

(ग) नगर/ग्राम-बेलजोरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.245 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1734/1	0.036
1652	0.020
1735	0.016
1639	0.035
1738	0.020
1742	0.014
1740	0.020
1753	0.058
1640	0.026
योग	0.245

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम बेलजोरा जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 25 अक्टूबर 2012

रा.प्र.क्र./04/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-सीतापुर

(ग) नगर/ग्राम-बेलजोरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-32.382 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
827/1	0.809
1056/1	0.224
1049	0.016
1311/2	0.202
852/1	0.405
959	0.182
961/2	0.146
969/5	0.109
1002	0.061
1012/1	0.041
1303/2	0.060
988	0.073
977/1	0.144
991/1	0.206
1269	0.445
1042	0.063
1262	0.100
1591/1	0.061
1138/3	0.323
1263	0.833
1296	0.417
1304/2	0.299
1318/2	0.182
1318/1	0.231
1293/11	0.688
828	0.069
827/3	0.227
835	0.202
839	0.316
1015/1	0.219
960	0.128
963	0.020
1000	0.256
1005	0.121
1015/5	0.044
1582	0.032
989	0.239
980	0.069
993	0.089
1271	0.858
1046	1.125
1058	0.060
1120/3	0.202
1153	0.040

(1)	(2)	(1)	(2)
1282	0.316	1292/2	0.293
1297	0.049	1292/2	0.294
1311/1	0.405	1215	0.049
1315/1	0.283	1285/2	0.526
1514	0.223	1302	0.158
991/5	0.117	1313	0.061
829	0.202	1315/3	0.644
831	0.870	1013	0.146
836	0.057	1295/1	0.158
1030	0.308	833	0.045
1213/2	0.097	838	0.466
1260	0.085	840	0.061
964	0.757	957	0.020
1001	0.160	1539	0.591
1002	0.089	965	0.057
1003	0.125	979	0.105
1004	0.384	1010	0.057
1005	0.445	1012/2	0.056
1006	0.341	986	0.040
1007	0.494	976/1	0.069
1008	0.040	991/4	0.211
1009	0.340	1210	0.206
1010	0.101	1039	0.140
1011	0.040	1054	0.283
1012	0.294	1586/1	0.092
1013	0.259	1586/2	0.091
1014	0.223	1239/2	0.320
1015	0.235	1293/7	0.255
1016	0.323	1303/1	0.457
1017	0.050	1314	0.065
830	0.020	1316/2	0.040
832	0.024	1055/5	0.045
836	0.462	827/2	0.202
1031	0.829	834	0.190
956	0.210	1138/5	0.324
1291	0.024	851/1	0.243
1298	1.044	958	0.231
967	0.125	961/1	0.068
1009	0.057	966	0.028
1011/2	0.008	1003	0.016
969/3	0.344	1011/1	0.024
969/4	0.012	1014	0.219
985/2	0.109	987	0.024
1023	0.186	1075/2	0.101
1038/3	0.328	991/3	0.211
1048	0.510	1255	0.283
		1040	0.158

(1)	(2)
1057	0.146
1590/1	0.022
1590/2	0.023
1261	0.352
1295/2	0.202
1304/1	0.304
1316/1	0.073
1317	0.040
1230	0.157
योग	32.382

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम बेलजोरा जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 7/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-मोहतरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-21.16 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
474	0.26
141	0.21
472	0.63
340/1	0.65
340/3	0.50
251	0.23
252	0.11
249/3	0.15
249/4	0.21
249/6	0.20
263	0.21
146	0.21
249/5	0.16
264	0.23
237/1	0.23
199/3	0.27
201	0.22
202	0.10
194/1	0.02
194/2	0.22
161	0.25
163	0.11
164	0.12
166/1	0.12
167	0.16
169	0.23
145	0.28
142	0.14
144	0.02
261	0.01
537/2	0.24
536/8	0.21
535	0.26
536/3	0.02
533	0.22
514	0.52
525	0.12
513	0.10
509	0.18
508	0.30
507	0.02
799	0.25
806	0.11

(1)	(2)
807/1	0.20
807/2	0.03
808/3	0.17
808/4	0.17
847/1	0.43
848/2	0.40
854/1	0.30
854/4	0.08
856	0.45
863/1	0.22
863/2	0.11
876/2	0.36
536/8	0.58
536/3	0.04
542/2	0.03
545/3	0.10
561	0.21
562	0.31
563	0.18
591	0.11
564	0.25
703	0.14
708	0.08
579	0.03
580/1	0.08
580/2	0.24
592/4	0.15
589/2, 590	0.18
585	0.12
712	0.15
671	0.12
670	0.12
674	0.13
675/1, 676/1, 676/2	0.25
678	0.02
677	0.21
688/2	0.21
704	0.08
709	0.13
710	0.21
766	0.10
770/2	0.16
767	0.19
761/3	0.25
545/4	0.10
545/5	0.11
544	0.30
530/1	0.01
568	0.01
142	0.13
652/4	0.24
67/5, 652/7	0.29
67/9	0.15
67/4	0.16
65/3, 66/4, 654/1	0.24
63/1, 65/2	0.24
63/2	0.27
45	0.03
249/4	0.13
247	0.09
900	0.14
240	0.16
241	0.17
369	0.14
368	0.15
367/2	0.26
366	0.07
397/2	0.08
396	0.08
398	0.32
योग	21.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिलासपुर व्यपवर्तन योजना के मोहतरा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कबराकापा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.83 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
116	0.55
112/1	0.08
117/1	0.11
118/1	0.09
योग	0.83

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिरकोनी एनीकट तटबंध एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-कोहरौदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.86 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
12	0.19
11/2	0.45
59	0.15
23	0.28
21	0.33
19	0.14
232/2	0.21
60	0.14
61	0.22
69/1	0.22
69/3	0.25
69/2	0.40
68	0.11
70	0.01
174/3	0.41
161	0.27
163	0.32
168/3	0.26
168/2	0.14
219/2	0.15
169	0.02
220	0.13
213/2	0.02
221	0.09
222	0.29
320	0.11
319	0.11
321	0.10
167/2	0.02
313	0.25
112	0.07
योग	5.86

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिलासपुर व्यपवर्तन योजना के मोहतरा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-हथनी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.80 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
309/1	0.51
304/3	0.07
304/2	0.05
303	0.54
239/4	0.10
239/6	0.39
238	0.07
235	0.07
योग	1.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिलासपुर व्यपवर्तन योजना के मोहतरा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 6/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-कोसमडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.89 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
1/1	0.12
1/3	0.13
1/8	0.16
2/1	0.12
2/4	0.17
2/5	0.05
2/6	0.12
2/7	0.38
2/9	0.12
2/13	0.03
7/1	0.39
8/2ख	0.23
8/5	0.07
37/1	0.45
37/3	0.11
38/1	0.07
38/3	0.31
40/1	0.04
35/2	0.30
35/6	0.05
35/7	0.02
40/6	0.05
40/7	0.08
40/8	0.24
41/1	0.03
42/2	0.41
44/3	0.23
41/2	0.05
137/1	0.06
137/2	0.05
136/2	0.30
136/1	0.30
138/5	0.15
138/10	0.12
139/2	0.34
231/1	0.23

(1)	(2)
231/7	0.19
231/25	0.03
231/26	0.19
229/1	0.19
229/4	0.19
240/1	0.33
231/22	0.14
243/1	0.06
243/2	0.19
243/8	0.02
243/6	0.28
योग	7.89

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- देवगांव व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2012

प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-पण्डरापथरा, प.ह.नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-12.872 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
80/2	0.364
82/2	0.032
93/3, 94/2	0.372
93/1	1.113
93/2	0.101
94/1	0.263
95/1	0.603
89/6	0.206
86/4	0.142
86/5	0.020
96/1	0.222
87/2	0.101
88/2	0.121
98	1.255
82/1	0.546
99	0.223
80/1	0.716
104/2	0.101
265/5	0.081
265/1	0.202
255/1	0.036
96/3	0.101
241	0.356
96/2	0.040
87/1	0.061
88/1	0.040
271/1	0.842
277/2	0.567
236/3	0.061
236/6	0.283
253	0.202
277/4	0.417
252	0.016
251	0.182
276/2	0.324
278	0.141
277/1	0.028
271/2	0.337
239/1	0.129
270/2	0.101
256/3	0.129
95/3	0.405
236/1	0.024
236/2	0.202
238	0.142
239/2	0.065
237/3	0.065
243	0.247
242	0.121

(1)	(2)
104/4	0.089
105/8	0.081
237/5	0.032
270/3	0.024
237/4	0.049
231/1	0.081
264/1	0.016
105/7	0.065
योग	12.885

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- आमामुडा व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 21/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-बिलासपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सल्खा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-25.50 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
632/1	0.39
632/3	0.80
632/2	0.81
633/1	0.75
634/3	0.37
633/2	0.27
633/3	0.33
651	0.41
656	0.20
652	0.10
678	0.48
648/2	0.62
654	0.40
655	0.80
676	0.60
659	0.32
622	0.72
663/1	0.43
663/2	0.43
667/3	0.65
668/1	0.15
673/1	1.01
667/2	0.65
680	0.42
669/1	0.69
671	0.10
674/1	1.28
675/2	0.35
674/3	0.07
673/3	0.50
674/2	1.48
677/1	0.34
677/2	1.07
679	0.32
681	0.42
1087	0.50
682	0.41
683	0.34
666/2	0.72
668/2	0.15
670	0.28
673/2	0.51
666/1	0.71
667/1	1.29
686/1	0.30
669/2	0.64
669/3	0.22

(1)	(2)
675/1	0.70
योग	25.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- महरनार जलाशय योजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 22/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-बिलासपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कड़री
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-51.34 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
804/3	0.25
815	0.38
819/1	0.22
819/2	0.45
804/8	0.45
804/9	0.20
804/7	0.35
804/10	0.24
810	0.10
811	0.30
809	0.22
812	0.24
813	0.70
816	0.03
814	0.49
817/1	0.11
820/3	0.30
820/4	0.10
828	0.17
817/2	0.08
820/6	0.77
852/1	0.50
854	0.16
861	0.57
852/2	0.23
853	0.19
855/1	0.15
855/2	0.60
856/2	1.15
856/3	0.35
856/4	0.32
859	1.01
857	0.34
866/1ख	0.08
866/2ख	0.05
585/2	0.34
863/2	0.54
876/1घ	0.19
860/1	0.65
860/2	0.40
866/1क	0.12
866/2क	0.12
818/1	0.11
726/1क	0.39
818/2	0.71
820/1	0.35
820/2	1.20
855/3	0.74
820/5	0.35
856/1	0.12
820/7	0.60
821	0.22
822	0.36
823	0.24
829	0.18
830	1.63
831	0.47
832	0.40

(1)	(2)
858/1	0.25
860/3	0.70
840	2.30
845	1.54
724/1	5.20
849	2.59
856/5	0.47
850	0.69
870/1	0.88
856/6	0.70
866/3क	0.15
862/1	0.76
862/2	0.18
863/1	1.22
864/1	0.24
874/2	0.68
875/2	0.02
862/3	0.22
864/2	0.07
865	0.18
874/1	3.30
875/1	0.50
866/3ख	0.20
867	0.20
872	1.50
873	0.60
876/1क	1.00
876/1क	0.70
876/1ल/2	0.09
876/1ल/3	0.03
876/1र	0.09
876/4	0.51
726/1ख	1.30
योग	51.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नहरनार जलाशय योजना शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 11 दिसम्बर 2012

क्रमांक क/भू-अर्जन/01/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पंद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-बस्तर
 (ख) तहसील-बस्तर
 (ग) नगर/ग्राम-चपका, प. ह. नं. 27
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.22 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	1/1स	0.16
	119/8	0.06
योग	2	0.22

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 26 नवम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-09/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पोंडीउपरोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-कोरबी, प. ह. नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.939 हेक्टेयर.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	458	0.259
	459	0.514
	465/5	1.011
	465/6	0.809
	491/4	0.683
	491/6क/2	0.128
	465/4	0.785
	486/2क	1.011
	491/2	0.057
	491/6क/1	0.138
	491/6ख	0.324
	465/1	1.583
	465/2	0.051
	486/1	1.623
	486/4	0.987
	489	0.150
	490	0.024
	491/3	0.243
	491/1	0.284
	(1)	(2)
	491/5	0.275
योग	20	10.939

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आवास गृह हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पोंडीउपरोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 26 नवम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-10/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पोंडीउपरोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-फूलसर, प. ह. नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.91 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	91/2	1.91
योग	1	1.91

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आवास गृह हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पोंडीउपरोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 7 दिसम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-अमलीपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.117 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	2/1	0.036
	3/4	0.081
योग	2	0.117

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सालर छातादेई अमलीपाली मार्ग के कि.मी. 5/4 पर मनई नाला पुल के पहुंच मार्ग पर सेतु निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 दिसम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-खुड़बेना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.427 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	400/4	0.089
	406/1	0.040
	402	0.061
	403/1	0.040
	403/2	0.040
	404	0.028
	406/2	0.032
	406/3	0.097
योग	8	0.427

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-उलखर गोपालभवना बरदूला मार्ग पर लीलार नाला पहुंच मार्ग पर सेतु निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय, कृषि छ.ग., रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2012

क्रमांक गन्ना/आरक्षण/2012-13/165.—मैं मनोहर पाण्डे, गन्ना आयुक्त, छ.ग., रायपुर माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना

मर्यादित, केरता, जिला सूरजपुर के लिये छ.ग. गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार क्रय केन्द्रों के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का गन्ना, गन्ना पेराई वर्ष 2012-13 के लिये आरक्षित घोषित करता हूं. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा. आरक्षित किये गये ग्रामों का गन्ना निम्नानुसार क्रय केन्द्रों पर शक्कर कारखाना द्वारा क्रय किया जावेगा :—

क्र. (1)	क्रय केन्द्र का नाम (2)	विकासखंड का नाम (3)	ग्रामों की संख्या (4)	गन्ना क्षेत्र (हे. में) (5)
1.	कारखाना द्वार केरता	प्रतापपुर	50	829.527
		राजपुर	22	666.376
		सूरजपुर	26	687.210
		अंबिकापुर	27	114.486
		लखनपुर	46	77.519
2.	रघुनाथपुर (दर्रीडीह)	लुण्ड्रा	43	962.397
		बतौली	36	561.064
		सीतापुर	23	168.635
3.	पंपापुर (खजूरी)	अंबिकापुर	9	34.612
		बतौली	2	12.877
		योग	**284**	**4114.703**

मनोहर पाण्डे,
गन्ना आयुक्त.

विकासखण्डवार क्रय केन्द्र अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

पेराई सत्र 2012-13

स. क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र का नाम	विकासखण्ड का नाम	आरक्षित करने वाले ग्रामों के नाम	आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ना क्षेत्रफल (हे.) में		
					पेडी	पौधा	कुल योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	कारखाना गेट	प्रतापपुर (जि. सूरजपुर)	केरता	1	13.948	47.126	61.074
2.			गौरा	2	5.930	25.444	31.374
3.			भरदा	3	6.227	14.432	20.659
4.			बगडा	4	2.531	18.204	20.735
5.			पल्ढा	5	1.940	8.841	10.781
6.			गुडरूडांड	6	12.236	32.198	44.434
7.			खडगवांकला	7	31.836	86.881	118.717
8.			धरमपुर	8	1.529	7.311	8.840
9.			मानपुर	9	0.000	2.559	2.559
10.			मदननगर	10	0.000	3.843	3.843
11.			मांडीडांड	11	0.000	10.248	10.248

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12.			पंपापुर	12	2.153	7.342	9.495
13.			कोटया	13	10.201	14.534	24.735
14.			सिंघरा	14	1.732	10.246	11.978
15.			बैकोना	15	16.166	29.537	45.703
16.			करसी	16	2.922	11.734	14.656
17.			सिलफिली	17	7.008	18.819	25.827
18.			टुकुडांड	18	5.979	19.240	25.219
19.			खजुरी	19	1.551	2.432	3.983
20.			रामपुर	20	5.964	4.587	10.551
21.			सेमई	21	1.796	4.086	5.882
22.			मायापुर 1	22	0.362	3.140	3.502
23.			बरौल	23	0.000	0.554	0.554
24.			सौतार	24	1.098	1.566	2.664
25.			सेमराकला	25	5.151	8.997	14.148
26.			प्रतापपुर	26	0.383	4.303	4.686
27.			केबरा	27	0.000	1.171	1.171
28.			मटिगडा	28	0.645	1.649	2.294
29.			दरहोरा	29	0.000	2.301	2.301
30.			गोंदा	30	0.325	0.118	0.443
31.			डोमहल	31	0.000	0.770	0.770
32.			चन्देली	32	0.000	2.323	2.323
33.			रमगवां	33	0.474	2.711	3.185
34.			हरिहरपुर	34	1.128	0.580	1.708
35.			सोनपुर	35	0.000	2.310	2.310
36.			खैराडीह	36	0.000	2.189	2.189
37.			सिलौटा	37	0.710	4.725	5.435
38.			दुर्ती	38	0.275	3.054	3.329
39.			सेंधोपारा	39	0.837	2.682	3.519
40.			चांचीडांड	40	3.905	9.876	13.781
41.			सोनगरा	41	40.957	84.801	125.758
42.			सकलपुर	42	3.060	9.259	12.319
43.			श्यामनगर	43	0.690	1.378	2.068
44.			शंकरपुर	44	7.979	6.762	14.741
45.			सिंगादोहर	45	3.192	0.400	3.592
46.			मायापुर 2	46	2.074	4.587	6.661
47.			बोझा	47	13.883	23.811	37.694
48.			चन्दरपुर	48	1.380	5.562	6.942
49.			सुखदेवपुर	49	9.251	20.306	29.557
50.			कैराडांड	50	2.904	5.686	8.590
				योग	**232.312**	**597.215**	**829.527**
1.	कारखाना गेट	राजपुर (जि. बलरामपुर)	मेरकाडांड	12	11.668	18.256	29.924
2.			दुप्पी	10	14.190	16.486	30.676
3.			चौरा	8	2.481	13.154	15.635

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.			नरसिंहपुर	54	21.193	35.813	57.006
5.			धन्धापुर	15	12.947	36.820	49.767
6.			रेवतपुर	13	35.748	53.290	89.038
7.			खोखनिया	12	8.581	35.778	44.359
8.			परसवार	15	1.548	3.752	5.300
9.			चिलमा	53	1.429	0.216	1.645
10.			जमुनिया	52	3.000	0.000	3.000
11.			अखोराखुर्द	21	32.174	41.422	73.596
12.			सिधमा	23	3.905	7.943	11.848
13.			बदौली	20	25.881	59.801	85.682
14.			कुन्दीकला	19	20.339	36.545	56.884
15.			शिवपुर	19	8.898	17.784	26.682
16.			खोरडो	21	6.544	21.339	27.883
17.			खुखरी	23	14.826	33.986	48.812
18.			भेलाईखुर्द	31	1.120	1.648	2.768
19.			ककना	26	0.000	1.237	1.237
20.			बाघिमा	24	0.000	1.348	1.348
21.			डकवा (चाची)	25	0.000	2.734	2.734
22.			मदनेश्वरपुर	33	0.312	0.240	0.552
				योग	**226.784**	**439.592**	**666.376**
1.	कारखाना गेट	सूरजपुर (सूरजपुर)	पोडिपा	16	9.256	24.243	33.499
2.			हरिपुर	21	36.481	48.538	85.019
3.			मंजीरा	19	18.721	57.813	76.534
4.			सुन्दरगंज	21	27.073	28.466	55.539
5.			मोहनपुर	25	14.150	15.083	29.233
6.			छतरपुर	12	14.591	22.120	36.711
7.			कल्याणपुर	13	21.844	60.683	82.527
8.			पाठकपुर	18	10.544	23.320	33.864
9.			अखोराकला	18	9.525	24.533	34.058
10.			रमेश्वरपुर	10	5.507	10.558	16.065
11.			तुलसी	35	11.847	43.247	55.094
12.			विहारपुर	32	5.503	6.506	12.009
13.			गंगापुर	34	0.220	9.971	10.191
14.			अनुजनगर	29	0.290	2.339	2.629
15.			हिराडबरी	32	0.344	0.419	0.763
16.			सम्बलपुर	22	3.399	4.096	7.495
17.			सोनवाही	30	2.523	3.479	6.002
18.			करवां	34	0.825	6.783	7.608
19.			महेशपुर	27	0.000	1.821	1.821
20.			जुडवानी	36	1.458	5.171	6.629
21.			नरेशपुर	47	0.255	8.847	9.102
22.			बृजनगर	22	5.657	5.729	11.386
23.			लटोरी	26	19.106	3.771	22.877
24.			रमेशपुर	33	4.488	1.846	6.334

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
25.			द्वारिकानगर	23	15.509	13.301	28.810
26.			जगतपुर	33	7.706	7.705	15.411
				योग	246.822	440.388	687.210
1.	कारखाना गेट	अम्बिकापुर (सरगुजा)	करम्हा	36	10.668	8.969	19.637
2.			बससेडी	25	9.118	12.041	21.159
3.			खलीबा	28	0.498	0.478	0.976
4.			मेन्ड्राखुर्द	28	0.000	0.271	0.271
5.			रूखपुर	24	4.286	9.492	13.778
6.			भफौली	33	2.861	8.477	11.338
7.			कुल्हाडी	21	3.275	6.707	9.982
8.			किशुनपुर	23	3.159	3.110	6.269
9.			घंघरी	25	0.000	2.078	2.078
10.			कंचनपुर	24	3.361	11.823	15.184
11.			परसा	37	2.726	1.544	4.270
12.			हंसुली	31	1.352	0.226	1.578
13.			सरगवां	21	1.927	1.407	3.334
14.			सकालो	20	0.058	1.400	1.458
15.			नवापाराकला	48	0.620	1.038	1.658
16.			भगवानपुर	30	0.450	0.539	0.989
17.			लब्जी	40	0.288	0.000	0.288
18.			रामपुर	52	0.239	0.000	0.239
				योग	44.886	69.600	114.486
1.	कारखाना गेट	लखनपुर (सरगुजा)	केवरी	48	1.600	4.200	5.800
2.			टपरकेला	51	0.000	0.500	0.500
3.			पीपर खार	47	0.200	0.040	0.240
4.			पुहपुटरा	49	0.200	0.040	0.240
5.			मांजा	64	0.000	2.950	2.950
6.			पोडी	72	0.000	1.200	1.200
7.			तुंगा	66	0.000	1.325	1.325
8.			मुकुन्दपुर	46	0.000	1.000	1.000
9.			जयपुर	56	0.000	2.000	2.000
10.			ईरगवा	55	0.000	0.500	0.500
11.			जोधपुर	57	0.000	0.500	0.500
12.			गोरता	64	0.000	0.500	0.500
13.			जूनालखनपुर	54	0.000	0.600	0.600
14.			कोसंगा	61	0.000	1.000	1.000
15.			कुंवरपुर	57	0.050	0.850	0.900
16.			लोसंगी	58	0.400	2.100	2.500
17.			कटिन्दा	62	0.450	6.000	6.450
18.			कंचनपुर	59	0.000	4.000	4.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19.			उमरौली	68	0.000	2.500	2.500
20.			अंधला	65	1.500	0.000	1.500
21.			बेलदगी	56	0.000	1.100	1.100
22.			तुनगुरी	64	0.000	1.800	1.800
23.			तुरना	63	0.200	0.200	0.400
24.			अमलभिट्ठी	54	0.100	0.200	0.300
25.			जमगला	64	0.000	1.700	1.700
26.			लटोरी	60	0.650	2.800	3.450
27.			तराजू	62	0.000	0.200	0.200
28.			रामपुर	57	0.000	0.500	0.500
29.			मुरकी	62	1.600	1.400	3.000
30.			निम्हा	66	0.300	0.200	0.500
31.			गुमगराकला	51	2.254	0.400	2.654
32.			विनकरा	72	0.570	3.110	3.680
33.			सलका	52	2.300	2.900	5.200
34.			पलगड़ी	55	0.000	1.000	1.000
35.			लिपंगी	66	1.300	0.500	1.800
36.			करई	69	0.700	0.200	0.900
37.			कुन्नी	65	0.400	1.000	1.400
38.			सकरिया	52	0.500	0.500	1.000
39.			धनौरा	53	0.000	0.400	0.400
40.			गोरेयापीपर	58	0.000	1.600	1.600
41.			परसोडीकला	72	0.385	3.452	3.837
42.			कटकोना	50	0.150	0.641	0.791
43.			गणेशपुर	66	0.000	0.400	0.400
44.			वगदर्री	76	0.850	1.452	2.302
45.			गुमगखुर्द	50	0.300	0.800	1.100
46.			कोरजा	54	0.200	0.100	0.300
				योग	**17.159**	**60.360**	**77.519**
1.	रघुनाथपुर	लुण्ड्रा (सरगुजा)	आमगांव	56	8.464	12.943	21.407
2.			पटोरा	51	3.514	13.299	16.813
3.			अगासी	54	7.108	21.378	28.480
4.			करेसर	59	1.032	5.509	6.541
5.			करगीडीह	61	2.729	13.029	15.758
6.			डुगमी	45	7.537	12.367	19.904
7.			पसेना	67	12.956	23.917	36.873
8.			गुजरवार	65	6.162	22.418	28.580
9.			नागम	70	11.822	13.232	25.054
10.			पडौली	46	3.431	6.693	10.124
11.			करांकी	55	6.835	17.300	24.135
12.			करौली	52	8.223	19.364	27.587
13.			बरकोल	58	0.614	2.163	2.777
14.			जमीरा	52	3.118	8.956	12.074
15.			छेरमुंडा	55	2.857	6.271	9.128

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16.			देवरी	53	7.122	21.729	28.851
17.			लुण्ड्रा	55	3.419	6.103	9.522
18.			नवडीहा	60	6.237	21.498	27.735
19.			घघरी	58	1.969	12.731	14.700
20.			सहनपुर	55	7.666	38.069	46.356
21.			कोयलारी	67	3.193	12.954	16.147
22.			चलगली 2	69	0.442	5.708	6.150
23.			कीरकीमा	59	1.163	5.897	7.060
24.			गगौली	54	2.974	5.841	8.815
25.			सखौली	48	2.883	1.637	4.520
26.			उदारी	53	44.419	74.011	118.430
27.			बरगीडीह	58	5.582	14.580	20.162
28.			कोट	50	2.693	4.742	7.435
29.			झेराडीह	61	1.161	2.816	3.977
30.			तुरियाबीरा	57	2.236	2.432	4.668
31.			सायराई	44	6.240	13.643	19.883
32.			चोरकीडीह	48	15.882	26.876	42.758
33.			जरहाडीह	48	25.277	49.362	74.639
34.			महोरा	59	13.901	37.540	51.441
35.			चलगली 1	57	6.366	11.918	18.284
36.			बकनाकला	57	0.828	6.743	7.571
37.			सेमरडीह	51	1.314	1.558	2.872
38.			कुन्दीकला	61	0.710	1.798	2.508
39.			खालपोड़ी	57	16.359	17.428	33.787
40.			दोरना	53	11.206	25.676	37.129
41.			डडगांव	51	14.203	39.467	53.670
42.			डकई	55	1.737	0.312	1.950
			योग	**284**			**4114.703**
1.	रघुनाथपुर	बतौली (जि. सरगुजा)	झरगांव	67	1.241	7.371	8.612
2.			गहिला	54	6.925	12.557	19.482
3.			बेलकोटा	52	7.598	13.293	20.891
4.			पथरई	67	5.586	11.180	16.766
5.			टेडगा	61	5.231	10.736	15.967
6.			बासेन	66	2.268	6.738	9.006
7.			बिरिभकेला	70	1.466	3.687	5.153
8.			शिवपुर	59	2.067	5.215	7.282
9.			मानपुर	68	1.609	3.254	4.863
10.			पोकसरी	68	0.752	1.236	1.988
11.			सेदम	64	0.977	3.357	4.334
12.			बटईकेला	77	0.369	0.844	1.213
13.			सुआरपारा	66	0.942	2.045	2.987
14.			घोघरा	66	5.486	12.955	18.441
15.			सल्याडीह	69	1.036	3.264	4.300

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16.			बासाझाल	72	1.063	4.100	5.163
17.			टिरंग	70	1.106	2.098	3.204
18.			बोदा	57	2.396	5.491	7.887
19.			कछारडीह	71	2.961	5.678	8.639
20.			जरहाडीह	62	3.329	7.711	11.040
21.			तेलईधार	74	5.058	9.875	14.933
22.			पोपरंगा	57	10.408	16.389	26.797
23.			बतौली	56	6.556	12.714	19.270
24.			बिशुनपुर	72	0.988	2.653	3.641
25.			महेशपुर	70	1.251	3.814	5.065
26.			कपाटवहरी	69	1.552	3.366	4.918
27.			देवरी	58	36.095	80.587	116.682
28.			करदना	72	0.476	2.729	3.205
29.			सिलमा	57	6.174	16.528	22.702
30.			बिलासपुर	62	5.806	14.089	19.895
31.			सरमना	68	8.739	25.065	33.804
32.			मंगारी	62	22.635	63.330	85.965
33.			नयाबांध	68	5.648	15.356	21.004
34.			कुडकेड	73	1.899	4.066	5.965
				योग	**167.693**	**393.371**	**561.064**
1.	रघुनाथपुर	सीतापुर (सरगुजा)	रजौटी	93	2.050	3.650	5.700
2.			पेटला	99	1.500	0.800	2.300
3.			भूसू	83	5.400	3.700	9.100
4.			बनेया	78	1.000	1.000	2.000
5.			देवगढ़	80	3.700	6.000	9.700
6.			ठेकीडोली	80	0.700	1.200,	1.900
7.			बगडोली	69	1.800	0.900	2.700
8.			रजपुरी	82	4.700	2.200	6.900
9.			सहनपुर	90	2.900	1.800	4.700
10.			भवराडांड	85	1.200	0.200	1.400
11.			गिरहुलडीह	95	1.000	0.400	1.400
12.			धरमपुर	90	0.800	0.100	0.900
13.			नवापारा	96	0.200	0.900	1.100
14.			प्रतापगढ़	75	4.200	5.400	9.600
15.			राधापुर	85	1.500	2.900	4.400
16.			गुतुरमा	75	0.000	0.500	0.500
17.			लिचिरमा	100	12.500	5.800	18.300
18.			बेलगांव	99	0.800	0.800	1.600
19.			उलकिया	95	13.800	18.700	32.500
20.			भिठवा	93	7.600	15.100	22.700
21.			हर्राटिकरा	90	10.005	12.930	22.935
22.			चलता	80	0.000	2.500	2.500

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
23.			सूर	89	1.600	2.200	3.800
				योग	**78.955**	**89.680**	**168.635**
1.	खजुरी, पंपापुर	अम्बिकापुर	पंपापुर	51	2.600	3.970	6.570
2.			खजुरी	52	4.894	6.068	10.962
3.			नवानगर	55	6.686	5.859	12.545
4.			सोनबरसा	58	0.407	0.000	0.407
5.			पोडीकला	64	0.709	0.877	1.586
6.			कर्रा	60	0.679	0.726	1.405
7.			दरिमा	43	0.566	0.000	0.566
8.			कोटेया	44	0.264	0.000	0.264
9.			नवापारा	55	0.158	0.149	0.307
				योग	**16.963**	**17.649**	**34.612**
1.	खजुरी, पंपापुर	बतौली	चिरगा	56	2.289	5.701	7.990
2.			मांजा	56	1.243	3.644	4.887
				योग	**3.532**	**9.345**	**12.877**
				कुल योग	**20.495**	**26.994**	**47.489**

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी. ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2012

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2012-13/5480.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2012-13/3341-3342 रायपुर, दिनांक 29-08-2012 द्वारा श्रीमती सौम्या चौरसिया, डिप्टी कलेक्टर, दुर्ग को कृषि उपज मण्डी समिति, दुर्ग का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/12911/वरि.लि. 3/2012/दिनांक 12-11-2012 द्वारा श्रीमती सौम्या चौरसिया, डिप्टी कलेक्टर, दुर्ग के स्थान पर श्री के. के. अग्रवाल, अपर कलेक्टर, दुर्ग को कृषि उपज मंडी समिति, दुर्ग का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा 1 के खण्ड 'ख' में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्रीमती सौम्या चौरसिया, डिप्टी कलेक्टर, दुर्ग के स्थान पर श्री के. के. अग्रवाल, अपर कलेक्टर, दुर्ग को, उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति, दुर्ग का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

रायपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2012

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2012-13/5482.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2011-12/2022-23 रायपुर, दिनांक 03-07-2012 द्वारा श्री आर. के. रामटेके, प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को कृषि उपज मण्डी समिति, छुरिया का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला-राजनांदगांव के पत्र क्रमांक/टी,-7/मंडी/2012-13/10834/राजनांदगांव दिनांक 22-11-2012 द्वारा श्री एन. पी. बरई वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, छुरिया को कृषि उपज मंडी समिति, छुरिया का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा 1 के खण्ड 'ख' में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री एन. पी. बरई, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, छुरिया को, उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति, छुरिया का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

रायपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2012

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2012-13/5971.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा. अधि./2011-12/5929 रायपुर, दिनांक 09-01-2012 द्वारा श्री जे. पी. तिवारी, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, जिला-कोरिया को कृषि उपज मण्डी समिति, मनेन्द्रगढ़ का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला कोरिया के पत्र क्रमांक 10606 दिनांक 01-12-2012 के द्वारा श्री जे. पी. तिवारी, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, जिला-कोरिया का स्थानांतरण होने के कारण उनके स्थान पर श्री अजीत जैन, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, को मण्डी मनेन्द्रगढ़ का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा 1 के खण्ड 'ख' में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री जे. पी. तिवारी, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, जिला-कोरिया के स्थान पर श्री अजीत जैन, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को, उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्उी समिति, मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

ए. एन. मिश्रा,
प्रबंध संचालक.

कार्यालय कलेक्टर, सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

सूरजपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2012

क्रमांक/232/श्र.अ./2012.—बंधुआ श्रमिक 2012 बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम 1976 की धारा 13 (2) के अंतर्गत निम्नलिखित शासकीय व अशासकीय सदस्यों को मनोनीत कर जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया जाता है—

1. जिला कार्यपालिक दण्डाधिकारी — कलेक्टर सूरजपुर व उनकी अनुपस्थिति में अपर कलेक्टर — अध्यक्ष

2. कलेक्टर द्वारा मनोनीत जिले में निवासरत् अनुसूचित जाति एवं जनजाति के तीन व्यक्ति —
   - (I) ललन सोनवानी (अजा) वार्ड क्र. 15 सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.) — सदस्य
   - (II) लवकेश पैकरा (अजजा) ग्राम चेन्द्रा, जिला-सूरजपुर (छ.ग.) — सदस्य
   - (III) विमला भगत (अजजा) वार्ड क्र. 10 सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.) — सदस्य

3. कलेक्टर द्वारा मनोनीत जिले में निवासरत् दो सामाजिक कार्यकर्ता —
   (I) प्रवेश गोयल (पत्रकार), वकील कालोनी सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.) — सदस्य
   (II) थलेश्वर साहू (अधिवक्ता) बडकापारा सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.) — सदस्य

4. राज्य शासन द्वारा मनोनीत जिले में कार्यरत तीन अधिकारी —
   (I) पुलिस अधीक्षक, सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.) — सदस्य
   (II) उप संचालक (कृषि) सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.) — सदस्य
   (III) सहायक आयुक्त (आदिवासी विकास) सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.) — सदस्य

5. जिले में कार्यरत बैंक अधिकारी—
   प्रबंधक, सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.) — सदस्य

6. समिति का संयोजक—
   श्रम पदाधिकारी, सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.) — सदस्य

एस. भारती दासन,
कलेक्टर.

कार्यालय कलेक्टर (जिला शहरी विकास अभिकरण), सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

सूरजपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2012

क्रमांक/43/परि.अधि./2012-13.—मैं डॉ. एस. भारती दासन (आई.ए.एस.) कलेक्टर सूरजपुर, छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 40 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए नगर पंचायत बिश्रामपुर के वार्ड क्रमांक 15 के पार्षद् द्वारा स्वेच्छा-पूर्वक दिया गया त्यागपत्र स्वीकार करता हूं. जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार अनुसूची में वर्णित है.

अनुसूची

क्र.	निकाय का नाम	वार्ड क्र.	पार्षद का नाम जिनके द्वारा त्यागपत्र दिया गया है.	वार्ड के आरक्षण की स्थिति (वर्ग)	त्यागपत्र प्रस्तुत करने का दिनांक	त्यागपत्र प्रस्तुत करने का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	नगर पंचायत बिश्रामपुर	15	श्रीमती नीलम यादव	सामान्य महिला	03-09-2011	शासकीय नौकरी में जाने के कारण.

एस. भारती दासन,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 13th September 2012

No. 669/Confdl./2012/II-3-1/2012.—The following candidate as mentioned in column No. (2), appointed on probation as Civil Judge (Entry Level) in the Cadre of Chhattisgarh Lower Judicial Service by the State Government, is posted in the capacity as mentioned against her name in column No. (3) of the table below with a direction to take over charge by 28-09-2012 positively :—

TABLE

S. No. (1)	Name & address of newly appointed Civil Judge Class-II (2)	Posted As & At (3)
1.	Smt. Ekta Agrawal, D/o Shri Ashok Kumar Agrawal, Opposite Hira Bagh, Cantt Road, Guna (M.P.) 473001.	X Civil Judge Class-II, Bilaspur.

Bilaspur, the 27th November 2012

No. 39 (Mis)/I-7-3/2013 (Pt.-II).—The High Court of Chhattisgarh is pleased to declare that the following are the Holidays for the Courts Subordinate to the High Court of Chhattisgarh for the Year 2013 :—

S. No. (1)	Name of Holiday (2)	No. of days (3)	Dates as per Gregorian Calendar (4)	Days of the week (5)
1.	Milad-Un-Nabi	1	25-01-2013	Friday
2.	Republic Day	1	26-01-2013	Saturday
3.	Holi Holidays and Good Friday	3	27-03-2013 to 29-03-2013	Wednesday to Friday
4.	Ram Navami	1	19-04-2013	Friday
5.	Mahavir Jayanti	1	24-04-2013	Wednesday
6.	Id-Ul-Fitr	1	09-08-2013	Friday
7.	Independence Day	1	15-08-2013	Thursday
8.	Raksha Bandhan	1	20-08-2013	Tuesday
9.	Janamashtami	1	28-08-2013	Wednesday
10.	Gandhi Jayanti	1	02-10-2013	Wednesday
11.	Dashera Holiday	2	14-10-2013 to 15-10-2013	Monday to Tuesday
12.	Id-Ul-Zuha (Bakrid)	1	16-10-2013	Wednesday
13.	Deepawali Holidays	5	01-11-2013 to 05-11-2013	Friday to Tuesday
14.	Muharram	1	14-11-2013	Thursday
15.	Christmas	1	25-12-2013	Wednesday

Notes :—

1. All the Sundays are declared holidays for the Subordinate Courts including the Sundays falling during Summer Vacation.

2. Second & Third Saturdays of the month shall be closed Saturdays for the Subordinate Courts.

3. Mahashivratri, Ambedkar Jayanti & Gurunanak Jayanti fall on Sunday, therefore, no Holiday is declared separately.

4. The Judicial Officer of Subordinate Courts shall be entitled to avail of Vacation for a period of maximum 15 days in a year during the Summer Vacation from 13-05-2013 to 07-06-2013 and Winter Vacation from 23-12-2013 to 31-12-2013.

5. Holidays declared on account of Milad-Un-Nabi, Id-Ul-Fitr, Id-Ul-Zuha and Muharram are subject to change depending upon the visibility of the Moon. If the State Government declares any change in these dates through TV/AIR/Newspaper, the same will be followed.

6. The Officers and employees of the Subordinate Courts shall be entitled to avail of three optional holidays in the year out of the list of optional holidays as may be declared by the State Government for the year 2013.

7. The Subordinate Courts shall observe the Local Holidays as declared by the Competent Authority in respective Revenue Districts on account of local festivals of the Districts.

8. Subordinate Courts shall observe the holidays declared suddenly by the State Govt. without approval of the High Court.

Bilaspur, the 6th December 2012

No. 751/Confdl./2012/II-3-1/2012.— In Registry Order No. 276/Confdl./2012/II-3-1/2012 dated 03-07-2012, Column No. 2 of Sl. No. 6 be read as "Smt. Ganga Patel, W/o Shri Laxmi Prasad" in place of "Smt. Ganga Patel, D/o Shri Laxmi Prasad".

Bilaspur, the 17th December 2012

No. 755/Confdl./2012/II-3-2/2002.— Shri Abhishek Sharma, Civil Judge Class-II, in whose favour a certificate of confirmation was issued vide Registry order No. 597/Confdl./2012/II-3-2/2012 dated 01-09-2012, is hereby confirmed in the Lower Judicial Service with effect from 28-08-2012.

Bilaspur, the 24th December 2012

No. 8389/III-6-2/2007.— In exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby specially empowers Shri Shailesh Sharma, Judicial Magistrate First Class, Chhuikhadan, District Rajnandgaon, to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section.

By order of the Hon'ble High Court,
ARVIND KUMAR SHRIVASTAVA, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2012

क्रमांक 197/दो-2 4/2006.— श्री आर. सी. एस. सामन्त, निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 27-11-2012 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2009 से 31-10-2011 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2012

क्रमांक 198/दो-2-9/2005.— श्रीमति अनीता झा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 27-11-2012 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2009 से 31-10-2011 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.